सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 19/18 **निर्णय दिनांकः 03.05.2018**

1. सतपाल पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 30—07—2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 30—07—2008 जिसके द्वारा अपीलांट् को मोहरबन्द निलामी में किया गया आवंटन डबल आवंटन होने के कारण निरस्त योग्य होने के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् ने भूमिहीन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 12 एमजेएम के मुरब्बा नम्बर 61/50 में तादादी 24.08 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि मोहरबन्द बोली के तहत आवंटन हेतु वर्ष

2007 में आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 11—12—2007 को आवेदन पत्र की पूर्ण जॉच कर आवंटन की पुष्टि होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 02—07—2008 को आवंटन किया गया तथा दिनांक 30—07—2008 को पट्टा भी जारी कर दिया गया तथा मौके पर कब्जा भी प्रदान कर दिया गया। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि का नामान्तरणकरण दर्ज कराने हेतु सम्पर्क किया गया तो उक्त तथ्य सामने आये कि वादगत् भूमि रिकार्ड में आगौर के नाम दर्ज है। इसलिए अपीलांट का नाम रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जा सकता व कब्जा भी प्रदान नहीं किया जा सकता। अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निर्देशित किया गया कि नियम 23 के तहत प्रथम अपील के प्रावधान निहित होने से सीधे मण्डल में निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अतः माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुरूप उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट को वादगत् भूमि मोहरबन्द निलामी के तहत आवंटन किया गया था तथा तमाम जॉच के उपरान्त व आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा आवंटन की पुष्टि किये जाने के उपरान्त ही वादगत् भूमि का पट्टा अपीलांट के पक्ष में जारी किया गया था। जबकि अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की भलींभांति जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या वादगत् भूमि विशुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य की जॉच किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को किया गया, जबकि वादगत् भूमि मौके पर आगौर हेतु आरक्षित भूमि होने के कारण अपीलांट् को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आगौर के लिए आरक्षित भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के

आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—07—2008 के विरूद्व अपील दिनांक 29—12—17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही आगौर हेतु आरक्षित भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—07—2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 29—12—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा मोहरबन्द बोली आवंटन प्रक्रिया नियम 13 ए के उपनियम 15(4) के तहत आवंटन हेतु वर्ष 2007 में आवेदन प्रस्तुत करने पर दिनांक 02—07—2008 को अपीलांट को वादगत् भूमि चक 12 एमजेएम के मुरब्बा नम्बर 61/50 में 24.08 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि बतौर मोहरबन्द बोली आवंटन की गई तथा आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा पुष्टि किये जाने के उपरान्त वादगत् भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण कर ली गई।

(2) प्रकरण में अपीलांट को आवंटित चक 12 एमजेएम के मुरब्बा नम्बर 61/50 की 24.08 बीघा भूमि आगौर हेतु आरक्षित होने के कारण अपीलांट् को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में उक्त रकबा अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकता। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निर्देशित किया गया कि नियम 23 के तहत प्रथम अपील का प्रावधान निहित होने के कारण सीधे माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अतः अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट को आयुक्त उपनिवेशन की पुष्टि के उपरान्त वादगत् भूमि चक 12 एमजेएम के मुरब्बा नम्बर 61/50 में तादादी 24.08 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि मोहरबन्द बोली के तहत आवंटन किया गया था। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार यह तथ्य भलींभांति स्पष्ट है कि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही आगौर हेतु आरक्षित भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता था।

(4) विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि जोहड़पायतान, आगौर, कुण्ड, नदी, नालों, तालाब, स्कूल आदि के लिए आरक्षित भूमि पर किये गये आवंटनों को अवैद्य आवंटन माना गया है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट

को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो आगौर के लिए आरक्षित भूमि है, तथा रिकार्ड में वादगत् भूमि आगौर के रूप में दर्जशुदा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का आवंटन प्रारम्भ से अनियमित श्रेणी का आवंटन व एबइन्शियों वाईड (abinitiovoid) आवंटन है। अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—07—2008 सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 03.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर